फाईनल डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1. लखनलाल उम्र 50 साल
2. अमरसिंह उम्र 48 साल
3. रामराज उम्र 45 साल
4. रामहरि उम्र 41 साल
5. शिवराम उम्र 35 साल
6. सीता उम्र 78 साल

} पिसरान मनोहरी जाति मीना निवासी मुसारे का पुरा कटकड तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली ——————————वादीगण

बनाम

1. सियाराम पुत्र रामकिशन उम्र 50 साल
2. मुकेश पुत्र रामकिशन उम्र 48 साल
3. अमरपाल दत्तक पुत्र मठ्ठे उम्र 55 साल
4. अमरसिंह पुत्र रामस्वरूप उम्र 60 साल

} जाति मीना निवासी घाटीया का पुरा कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली

5. कुलदीप पुत्र कलुआ उम्र 20 साल
6. मनोज पुत्र कलुआ उम्र 22 साल
7. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली ——————————प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा, **मुकदमा नं0 167/2023**

एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री संजय शर्मा एडवोकेट मिन जानिव मुदई रूबरू ...X... मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिकी दी जाती है कि विवादित आराजी विवादित आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 650/2 रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन का वादीगण अमरसिंह रामराज रामहरि लखनलाल शिवराम पि0 मनोहरी बहिस्सा बराबर हि0 5/6, सीता पत्नि मनोहरी हि0 1/6 जाति मीना निवासी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कटकड को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 650/1 रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन रामजीलाल पुत्र विशन्या जाति मीना निवासी कटकड की खातेदारी में रहेगा। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आराजी खसरा नम्बर 650/2 रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन में वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत, मदाखलत नहीं करें, भूमि को वादीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग—उपभोग करने देवे, भूमि से वादी को बेदखल नहीं करें, प्रतिवादीगण भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं करें, भूमि की मौका सूरत नहीं बदले, प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे, कि जिससे वादीगण के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें तथा खसरा नम्बर 650/1 रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन के मृतक खातेदार रामजीलाल पुत्र विशन्या के वारिसान की पूर्ण जॉच कर नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक करें। निर्णय व फाईनल डिकी की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.11.2025 को यह डिकी जारी की गई।

21/11/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी :—हेमराज गूर्जर,
R.A.S.

मुकदमा नं0 :—167/2023
जीसीएमएस नं. 2022/363

दायर दिनांक:—11.08.2023

उनवान

1. लखनलाल उम्र 50 साल
2. अमरसिंह उम्र 48 साल
3. रामराज उम्र 45 साल
4. रामहरि उम्र 41 साल
5. शिवराम उम्र 35 साल
6. सीता उम्र 78 साल

} पिसरान मनोहरी जाति मीना निवासी मुसारे का पुरा कटकड तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

—————————वादीगण

बनाम

1. सियाराम पुत्र रामकिशन उम्र 50 साल
2. मुकेश पुत्र रामकिशन उम्र 48 साल
3. अमरपाल दत्तक पुत्र मठ्ठे उम्र 55 साल
4. अमरसिंह पुत्र रामस्वरूप उम्र 60 साल
5. कुलदीप पुत्र कलुआ उम्र 20 साल

} जाति मीना निवासी घाटीया का पुरा कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली

6. मनोज पुत्र कलुआ उम्र 22 साल
7. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली —————————प्रतिवादीगण

दावा बावत् तकास्मा
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:— 1. श्री संजय कुमार शर्मा वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक:—21.11.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.08.2024 को दावा वादी राजस्व रिकार्ड के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व 188 के तहत प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को बंटवारा मौका कमीश्नर 500 रूपये फीस पर नियुक्त कर निर्देश दिये गये कि ग्राम कटकड के आराजी खसरा न0 650 रकबा 5.0 है0 वाके कटकड तहसील हिण्डौन में वादीगण रामराज पुत्र मनोहरी हिस्सा 1/12 जाति मीना सा.देह खातेदार, रामहरि पुत्र मनोहरी हिस्सा 1/12 जाति मीना सा.देह

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खातेदार, लखनलाल पुत्र मनोहरी हिस्सा 1/12 जाति मीना सा.देह खातेदार, शिवराम पुत्र मनोहरी हिस्सा 1/12 जाति मीना सा.देह खातेदार, सीता पत्नि मनोहरी हिस्सा 1/12 जाति मीना सा.देह खातेदार, अमरसिंह पुत्र मनोहरी हिस्सा 1/12 जाति मीना सा.देह खातेदार एवं रामजीलाल पुत्र विशन्या हिस्सा 1/2 जाति मीना सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर वादी एवं उक्त विवादित आराजी में सहखातेदार रामजीलाल पुत्र विशन्या की मौजूदगी में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी कब्जे के अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार करें। बटवारा स्कीम दो प्रतियों में मय नक्शा ट्रेश के न्यायालय में प्रस्तुत की जावे। नक्शा ट्रेस में अलग–अलग रंगों से वादी व प्रतिवादी का हिस्सा अंकित करें।

मुताविक आदेश तहसीलदार (भू–अभि0) हिण्डौन के पत्रांक भू.अ./2025/3587 दिनांक 17.09.2025 से उक्त उनवानी प्रकरण में बंटवारा स्कीम मय ट्रेस न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की बंटवारा स्कीम पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने मुताविक बंटवारा स्कीम वादीगण का दावा फाईनल डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 650/2 रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन वादीगण अमरसिंह रामराज रामहरि लखनलाल शिवराम पि0 मनोहरी बहिस्सा बराबर हि0 5/6, सीता पत्नि मनोहरी हि0 1/6 जाति मीना सा0देह खातेदार के हिस्से में आया है तथा खसरा नम्बर 650/1 रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन रामजीलाल पुत्र विशन्या हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा0देह खातेदार के हिस्से में आया है। उक्त बंटवारा स्कीम पर नोट अंकित किया है कि खातेदार रामजीलाल पुत्र विशन्या जाति मीना फौत हो चुका है, जिसकी विरासत के सम्बन्ध में जॉच रिपोर्ट पूर्व में दी चुकी है, प्रति संलग्न है। मौके पर कुर्रेजात डिकी मृतक खातेदार के निकटतम एवं उपस्थित रक्त सम्बन्धियों के समक्ष तैयार की गई।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम मुताविक प्राथमिक डिकी एवं पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त एवं अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर तैयार किया जाना सही प्रतीत होता है तथा मुताविक बंटवारा स्कीम वादीगण अपने दावा को फाईनल डिकी कराना चाहते हैं। जिसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होना प्रतीत होता है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बंटवारा स्कीम के अनुसार खातेदार रामजीलाल पुत्र विशन्या अविवाहित फौत हो चुका है जिसके वारिसान के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति संलग्न की है। जिनमें से प्रतिवादी सं01 ता 6 तो पूर्व से ही रिकार्ड पर हैं तथा बंटवारा स्कीम पर भी प्रतिवादी मुकेश, सियाराम, मनोज, कुलदीप के हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा मुताविक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिक्री किया जाकर विवादित आराजी विवादित आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 650/2 रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन का वादीगण अमरसिंह रामराज रामहरि लखनलाल शिवराम पि0 मनोहरी बहिस्सा बराबर हि0 5/6, सीता पत्नि मनोहरी हि0 1/6 जाति मीना निवासी कटकड को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 650/1 रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन रामजीलाल पुत्र विशन्या जाति मीना निवासी कटकड की खातेदारी में रहेगा। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आराजी खसरा नम्बर 650/2 रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन में वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत,. मदाखलत नहीं करें, भूमि को वादीगण को शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे, भूमि से वादी को बेदखल नहीं करें, प्रतिवादीगण भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं करें, भूमि की मौका सूरत नहीं बदले, प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे, कि जिससे वादीगण के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें तथा खसरा नम्बर 650/1 रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन के मृतक खातेदार रामजीलाल पुत्र विशन्या के वारिसान की पूर्ण जॉच कर नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/11/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली